निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 37/2021 (रसद अपील)

श्री राजूलाल गुर्जर पुत्र श्री मोहनलाल, प्राधिकारधारक, उचित मूल्य दुकान खेजडी, बुजुर्ग, ग्राम पंचायत तामडिया, उपखण्ड चाकसू, जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (ए) राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनांक 10.09.2020 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 302/2018 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 1000/– रूपये जब्त सरकार किये जाने एवं 1,45,423/–रूपये वसूल करने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री कैलाश दत्त शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. विभागीय पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 28.11.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 302/2018 आदेश दिनांक 10.09.2020 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम खेजडी बुजुर्ग ग्राम पंचायत तामडिया, चाकसू जिला जयपुर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त सरकार किये जाने एवं अपीलार्थी से 1,45,423/–रूपये वसूल किये जाने के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर विभागीय पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान खेजडी बुजुर्ग, ग्राम पचायत तामडिया, चाकसू, जिला जयपुर का प्राधिकारधारक है जिसका ए.पी.एस. कोड 10923 है तथा अपीलार्थी की उक्त उचित

जिला कलक्टर
जयपुर

मूल्य की दुकान के साथ तामडिया–I जिसका पोस कार्ड नम्बर 21729 है, भी संलग्मित की गई थी। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशो एवं सक्षम अधिकारियो के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। दिनांक 19.05.2018 को प्रवर्तन अधिकारी चाकसू ने अपीलार्थी की उक्त दुकान का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रस्तुत की, जिस पर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा दिनांक 08.06.2018 को इकतरफा आदेश द्वारा अपीलार्थी की उक्त उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर अपीलार्थी को दिनांक 11.06.2018 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा जिसमें 07 अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है यह पूर्णरूप गलत थी। निरीक्षक द्वारा अटेच दुकान का प्राधिकार पत्र मांगा गया, जबकि उसका कोई प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के पास प्राधिकार पत्र संख्या 246/08 व नक्शा दुकान मौजूद था जो कि अपीलार्थी द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत किया गया। यद्यपि प्राधिकार पत्र लेखो के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिए उसके संबंध मे कोई अपराध नहीं बनता है। दूसरा आरोप वितरण रजिस्टर प्रस्तुत करने का था, जबकि सितम्बर 2016 से ही वितरण रजिस्टर रखना बंद हो गया था, क्योंकि समस्त वितरण पोस मशीन द्वारा किया जाता था। जहां तक मूल्य सूची का प्रश्न है वह दुकान पर लगी हुई थी। यद्यपि निरीक्षकों द्वारा उसे जब्त नहीं किया गया और ना ही उसकी फोटो ली गई। यहां यह भी कहना उचित है कि निरीक्षक ने मूल्य सूची से पहले फर्द मौका रिपोर्ट में शब्द नहीं बदनियति से जोडा, जिस पर प्रवर्तन अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर भी नही किये। इसके बावजूद प्रवर्तन अधिकारी ने ना तो मूल्य स्टॉक सूची की नकल ली और जो निरीक्षण की कार्यवाही शाम 5 बजे बाद की है, उस समय मूल्य सूची लगाना आवश्यक नही था। इसके संबंध मे न्यायिक दृष्टान्त 2008 क्रिमीनल लॉ जर्नल 2096 राजू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व 1990 (2) ई.एफ.आर. 106 राम खेलावन बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य अवलोकनीय है। प्राधिकर पत्र लेखो के अन्तर्गत नही आता है, इसलिये प्रवर्तन अधिकारी का यह आरोप कि प्राधिकार पत्र निरीक्षण के समय पेश नही किया, कतई गलत है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त 1991 (2) ई.एफ.आर. 17 पैरा 8 बिष्णु देव साह बनाम स्टेट ऑफ बिहार अवलोकनीय है। प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न के संबंध मे आरोप कतई गलत है, प्रवर्तन अधिकारी को रिटर्न प्राप्त करने वाले लिपिक से इस संबंध में जांच करनी चाहिये थी। जिसके संबंध में न्यायिक दृष्टान्त 1979 आर.सी.सी. 370 सीता राम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान अवलोनीय है। अपीलार्थी द्वारा स्टॉक रजिस्टर अपने प्रत्युत्तर के साथ जिला रसद अधिकारी के यहां पेश कर दिया, इसलिये रजिस्टर प्रस्तुत न करने का आरोप सिद्ध नहीं है। इसके संबंध मे न्यायिक दृष्टान्त 1999 (1) ई.एफ. आर. 489 अशोक कुमार बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. अवलोकनीय है। जहां तक मासिक

जिला कलक्टर
जयपुर

विवरणियां भेजने का प्रश्न है, वह बदस्तुर अपीलार्थी द्वारा संबंधित अधिकारी को भेजी गई है, लेकिन ना तो प्रवर्तन अधिकारी ने और ना ही जिला रसद अधिकारी ने संबंधित लिपिकों से जांच की, ना उनके कथन लिये, जबकि मासिक विवरणी की दूसरी प्रति रखने का कोई प्रावधान नहीं है। जिला रसद अधिकारी ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर ना कर इकतरफा निर्णय पारित करने की भूल की है। दिनांक 23.01.2020 को प्रवर्तन अधिकारी चाकसू श्री कल्याण सहाय करोल द्वारा अपील समीक्षा रिपोर्ट पेश की, लेकिन उक्त रिपोर्ट के संबंध में कोई कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को नहीं दिया गया जिससे निर्णय इकतरफा होने से निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी द्वितीय जयपुर द्वारा अपीलार्थी को जो कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, उस कारण बताओं नोटिस के साथ प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बनाये गये फर्द मौका दिनांक 19.05.2018 व जो रिपोर्ट प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जिला रसद अधिकारी को दिनांक 09.06.2018 को पेश की गई तथा पोस मशीन की डिटेल आदि किसी भी दस्तावेज की प्रतियां अपीलार्थी को नहीं दी गई, जिससे अपीलार्थी ना तो अपना समुचित जवाब प्रस्तुत कर सका और ना ही मामले में अपनी प्रतिरक्षा कर सका। इस संबध में न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर 1996 आन्ध्रप्रदेश 185 आर. राधाकृष्ण नायडू बनाम डायरेक्टर ऑफ सिविल सप्लायर्स, 2008(2) ई.एफ.आर. 298 राजपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, 2012 (2) ई.एफ.आर. 95 रामकृपाल यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी, 2013 (3) ई.एफ.आर. 136 लक्ष्मीनारायण दवे बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ए.आई.आर.2016 पटना 148 रामचरण प्रसाद यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ए.आई.आर. 2018 एन.ओ.सी.231 पटना रामविनोद सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार अवलोकनीय है। जिला रसद अधिकारी ने अपना निर्णय प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट का आधार मानकर दिया है जबकि प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट पचनामे के अन्तर्गत आती है। उसके आधार पर कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 2020 आन्ध्रप्रदेश 128 मधुसुदन नायडू बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश अवलोकनीय है। जिला रसद अधिकारी की कार्यालय टिप्पणी से स्पष्ट है कि दिनांक 30.01.2020 को अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। तत्पश्चात दिनांक 19.02.2020 व 30.03.2020 तथा 22.07.2020 को स्वयं जिला रसद अधिकारी द्वितीय उपस्थित नहीं थे और ना ही दिनांक 10.09.2020 को निर्णय पारित करने से पूर्व कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया, ना सुनवाई की और ना ही ही मामले में कोई जांच की जिससे निर्णय अवैध होने से निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा नम्बर 9 में यह कथन किया है कि "डीलर ने अपने पक्ष मे कोई दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत नही किये"। जबकि अपीलार्थी ने दिनांक 03.08.2018 को 9 दस्तावेज जरिये दस्तावेज सूची पेश किये, लेकिन बिना पत्रावली को देखे अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर नोटिस व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों ना तो देखा और ना ही इनका उल्लेख अपने निर्णय मे किया। इसके संबंध में न्यायिक दृष्टान्त 2010 (2) ई.एफ.आर. 595 राजेश सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, 1999 (2) ई.एफ.आर. 21 मैसर्स उमेश चन्द्र दिनेश कुमार

जिला कलक्टर
जयपुर

बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 1983 (2) ई.एफ.आर. 115 मोहम्मद जजमुल अहासेन बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2007 (2) ई.एफ.आर. 144 जगत भान सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., 2013 (1) ई.एफ.आर. 42 जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. अवलोकनीय है। अपीलार्थी का दिनांक 19.05.2018 को प्राधिकार पत्र जो इकतरफा निलम्बित किया गया था, निलम्बन अवधि को 3 माह पूर्ण होने पर उसका प्राधिकार पत्र बहाल नहीं किया गया तो दिनांक 14.03.2019 को प्राधिकार पत्र बहाल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने प्राधिकार पत्र दिनांक 19.05.2018 को निलम्बित करने के बाद यानि 90 दिवस के बाद 01 वर्ष 4 माह बाद जो निर्णय पारित किया है वह अवैध होने से निरस्तनीय है। जिसके समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1992 कलकत्ता 339 मोहम्मद अब्दुल सलाम बनाम सब डिवीजनल कन्ट्रोलर व ए.आई.आर. 1991 मद्रास 157 मैसर्स बी.रामास्वामी एण्ड कम्पनी बनाम डी.एस.ओ. अवलोकनीय है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी पर गेहूँ, चीनी व केरोसीन के दुरूपयोग का आरोप लगाया है, वह पूर्णरूप से गलत है। निरीक्षक द्वारा ना तो प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान में रखे स्टॉक की जांच की और ना ही जो सामग्री दुकान से अटेच कमरे में रखी थी उसकी जांच की, अपीलार्थी ने उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित करने के बाद दिनांक 18.07.2018 को पोस मशीन के साथ केरोसीन संभलाया था तथा गेहूँ आदि का विक्रय व वितरण किया, समस्त दस्तावेज अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी के यहां पेश कर दिये ओर अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से गेहूँ, चीनी व केरोसीन तेल का दुरूपयोग नहीं किया गया, लेकिन अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने ना तो कोई जांच की ना सुनवाई की। जिला रसद अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का मौका नहीं दिया। इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त ए आई.आर 2018 झारखण्ड 137 सीताराम अहाडिया बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड, ए.आई.आर 2015 (एन.ओ.सी.) 1068 मंसूर हक बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ए.आई.आर 2009 (एन.ओ.सी.) 1259, सुधेन्दु कुमार बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अवलोकनीय है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने या किसी न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन होने से प्राधिकार पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता है। जिसके संबंध में न्यायिक दृष्टान्त 1991 (2) ई.एफ.आर. 14 छोटेलाल प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ए.आई.आर 2018 इलाहाबाद 115 बजरंगी तिवाडी बनाम कमिश्नर व ए.आई.आर. 2014 पटना 113 उमेश राम बनाम स्टेट ऑफ बिहार अवलोकनीय है। जिला रसद अधिकारी द्वितीय जयपुर ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। निरीक्षणकर्त्ता ने अपनी रिपोर्ट में जांच का समय अंकित नहीं किया, क्योंकि जांच ना तो दुकान खुलने के समय की गई और ना ही निरीक्षण के समय कोई कारोबार हो रहा था, निरीक्षण व प्रवर्तन अधिकारी ने जांच के प्रावधानों की अनदेखी कर ना तो उपलब्ध माल की नाप तौल करवाई और नाही अपीलार्थी से इस संबंध में कोई कथन लिये गये। जिसके समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 2015 (एन.ओ.सी.) 367 श्रीमती बी. मंजुला बनाम डिस्ट्रीक्ट कलेक्टर व 2011 (2) ई.एफ.आर 518 रणदीन सिंह

जिला कलक्टर
जयपुर

बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं ए.आई.आर. 2017 कलकत्ता 54 नित्य गोपाल राय व अन्य बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अवलोकनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय की कोई प्रति भी नहीं दी तथा निर्णय की जानकारी नकल प्राप्त करने की तिथी को ही अपीलार्थी को हुई जो निर्णय की प्रति दिनांक 29.12.2021 को अपीलार्थी को हुई, जिससे अपील अन्दर मियाद है जिसके संबंध में AIR 2015 SUPREME COURT 3411 State of West Bengal Vs R.K.B.K. Ltd. and another एवं 2012 (2) FAC 421 State Vs Hardawari Lal अवलोकनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2020 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल फरमाई जावे।

5. प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी राशन डीलर को राशन सामग्री के स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर का संधारण कर उचित मूल्य दुकान पर रखना आवश्यक है। डीलर द्वारा 2366 लीटर केरोसीन, 47.90 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 क्विंटल 50 किलोग्राम चीनी का दुरूपयोग/गबन किया गया है। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्त संख्या 5, 6, 10, 11, 17 (सी) का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर अपीलार्थी की समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है तथा राशन सामग्री दुरूपयोग/गबन की कुल कीमत 1,45,4123/–रूपये वसूल किये जाने के आदेश दिये गये है। अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. सर्व प्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु न्याहित मे विलम्ब अवधि का कन्डोन किया जाता है। प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

8. अपीलार्थी का कथन है कि उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही संस्थित किये जाने पर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा दिनांक 11.06.2018 को अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिसका जबाब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.08.2018 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात दिनाक 20.08.2018 को जिला रसद की पत्रावली की आदेशिका पर अपीलार्थी डीलर की उपस्थिति के हस्ताक्षर मौजूद है। इसके पश्चात भी समय समय पर तारीख पेशी पर अपीलार्थी उपस्थित होता रहा है। दिनांक 30.01.2020 को भी अपीलार्थी जिला रसद कार्यालय मे उपस्थित हुआ है।

जिला कलक्टर
जयपुर

इसके पश्चात अपीलार्थी डीलर प्रकरण में तारीख पेशी की जानकारी होने के बावजूद जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्रावली पर अपीलार्थी के जवाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कर आलौच्य आदेश पारित किया है। इस प्रकार कार्यवाही संस्थित होने एवं अपीलार्थी के जवाब प्रस्तुत किये जाने के 2 वर्ष पश्चात आलौच्य आदेश पारित किया गया है। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन मान्य नही है कि उसे सुनवाई के लिए कोई नोटिस या समुचित अवसर नहीं दिया गया,, मान्य नही है। कोरोना महामारी वर्ष 2020 मार्च में आई थी तब लॉक डाउन लगा हुआ था। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाते समय कार्यालय सुचारू रूप से चालू हो गये थे। अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही वर्ष 2018 से लम्बित है। पर्याप्त सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा रिकार्ड में कम पाये गये केरोसीन, गेहूं व चीनी बाबत कोई संतोषप्रद जबाब न तो जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही दौराने सुनवाई इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राशन सामग्री के दुरूपयोग/गबन किये जाने बाबत पुलिस थाना चाकसू में अपीलार्थी के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होकर मामला लम्बित है। अपीलार्थी ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत के आरोपों से इन्कार किया है जिससे अपीलार्थी की अपील को बल नहीं मिलता है। इस कारण अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर